

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक /अलीगढ़/27643/2017, अलीगढ़: दिनांक: फरवरी, 19, 2018  
सेवामें,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०,  
डी-1, यू०पी०एस०आइ०डी०सी० इंडस्टियल एरिया,  
साइट-बी, मथुरा रिफायनरी,  
मथुरा- 281005 (यू०पी०)

विषय:- अलीगढ़ में दिल्ली-अलीगढ़ रोड़ (एन०एच०-91) किमी० 126 (चैनेज 125.910) की दांयी पटरी पर ग्राम सिकन्दरपुर भुकरावली के खसरा सं०-28 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के 0.055668 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-142/14-2-017-800 (139)/2017 दिनांक 12.02.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 2389/अलीगढ़/27643/2017 दिनांक 13.02.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० एफ०एन० संख्या- 11-268/2014एफ०सी० दिनांक 11.07.2014 व 11-09/98-एफ०सी० दिनांक 21.08.2014 के दृष्टिगत जनपद अलीगढ़ में दिल्ली-अलीगढ़ रोड़ (एन०एच०-91) किमी० 126 (चैनेज 125.910) की दांयी पटरी पर ग्राम सिकन्दरपुर भुकरावली के खसरा सं०-28 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के 0.055668 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के क्रम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

1. शर्त संख्या- 1 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिये वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश मार्ग का निर्माण भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर ही किया जायेगा।
2. शर्त संख्या- 2 के अनुपालन हेतु आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जायेगा, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित किया जायेगा।
3. शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी (1X1.5 मीटर) पर कम छत्र के वृक्षों का रोपण किया जायेगा जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जोकि हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
4. शर्त संख्या- 4 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा, जो क्षतिपूरक (आदि लागू हों), के अतिरिक्त होगा।
5. शर्त संख्या- 5 के अनुपालन इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.055668 है० से कम रखा जायेगा।
6. शर्त संख्या- 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि 6,26,000/- की दर से  $0.055668 \times 6,26,000 = 34,848.00$  (रु०- चौतीस

हजार आठ सौ अरतालीस मात्र), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध कराये।

7. शर्त संख्या- 8 के अनुपालन में उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली-110003 में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध कराये।
8. शर्त संख्या- 9 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
9. शर्त संख्या- 11 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आसपास के फलौरा (वनस्पति)/फाना (वन्यजीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलौरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
10. शर्त संख्या- 12 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसी दशा में नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
11. शर्त संख्या- 13 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिये सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर देने के लिये प्रस्तावक विभाग वाध्यकारी होगा।
12. शर्त संख्या- 14 के अनुपालन में इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उक्त भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में वनभूमि तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिये आवश्यक न हो, वन विभाग, उ०प्र०, सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
13. शर्त संख्या- 15 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ०सी०(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू हैं सक्षम स्तर से पर्यावर्णीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
14. शर्त संख्या 16 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
15. शर्त संख्या 18 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
16. शर्त संख्या 19 के अनुपालन में यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करनी होगी।
17. शर्त संख्या 20 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।

18. शर्त संख्या- 21 के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
19. शर्त संख्या-22 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
20. शर्त संख्या-23 के सम्बंध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
21. शर्त संख्या-24 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें कि प्रस्तावक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 एवं 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।
22. शर्त संख्या-25 के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/एफ0सी0 दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp.) फाइल में दर्शाया गया होगा।
23. शर्त संख्या-26 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या- एफ0एन0 संख्या- 11-268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11-07-2014 में नये दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करें।
24. 23.. शर्त संख्या-27 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू- 128600.00 ( मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध करायें।
24. शर्त संख्या-28 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं Online Payment History की प्रति पृथक-पृथक 05 प्रतियों में मूल हस्ताक्षर सहित उपलब्ध करायें।

(एस0डी0त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2527 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0डी0त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।